मकभाग राना म.प्र.

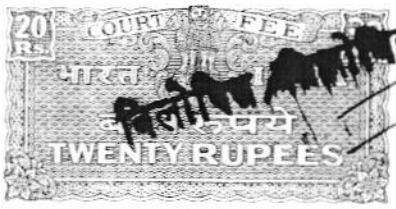

20 Rs. COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

196
5.4.14

R. 1581-II/14

478

शंम्भू कोल आत्मज स्व. जेठुआ कोल उम्र करीब 50 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम डोंगरी टोला बिरसिंहपुर-पाली जिला उमरिया म.प्र. --- पुनरावेदक

बनाम

1- श्रीमती गीतादेवी पति श्री आत्माराम अवधिया निवासी ग्राम वार्ड न. 11 मेन रोड बिरसिंहपुर-पाली जिला उमरिया म.प्र.

2- सुद्दू कोल आत्मज स्व. जारु कोल मृत-द्वारा वारिस :-

(अ) गुलमसिया बाई कोल पति श्री चरनिया कोल निवासी वार्ड न. 4 सेहरा टोला पाली बिरसिंहपुर जि. उमरिया म.प्र.

(ब) जुगिया बाई कोल पति स्व. बुध्दू कोल सा. मुड़ुलहा टोला बिरसिंहपुर

श्री एस.आर. कल्चुरिया ... द्वारा आज दिनांक 5-4-14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

(स) पुगिया बाई कोल पति नामालुम निवासी ग्राम पाली जि. उमरिया

(द) फागुनी बाई कोल पति श्री कम्मू कोल निवासी ग्राम बिछला टोला वार्ड न. 4 बिरसिंहपुर-पाली जि. उमरिया म.प्र.

समस्त आत्मज स्व. बैसाखू कोल निवासी ग्राम बिरसिंहपुर-पाली जि. उमरिया म.प्र.

वापस 26
22-5-14

3- नटराज गुप्ता आत्मज श्री रामखेलावन गुप्ता निवासी ग्राम वार्ड न. 6 बिरसिंहपुर-पाली जिला उमरिया म.प्र.

4- छोटेलाल मुख्तार बैगा आत्मज स्व. बउला बैगा (प्रकरण में उल्लिखित नाम-रामधारी बैगा) निवासी ग्राम गिजरी तह. पाली जिला उमरिया म.प्र.

5- सरौधन सिंह गौंड तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी अनु. पाली जिला उमरिया हाल अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र.

6- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला उमरिया म.प्र. --- रेस्पान्डेटगण

रा. पुन. पत्र क्र. ..../14 पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता वास्ते - अपील न्यायालय श्री

राजस्व प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2011-12
शम्भू कोल विरूध्द गीतादेवी एवं 6 अन्य
में पारित एवं घोषित आदेश दिनांक 17-12-
-2013 के विरूध्द पुनरीक्षण -आवेदन-पत्र

====================================

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता शम्भूकोल निम्न निवेदन कर प्रार्थी है :-

प्रकरण के तथ्य :-
==============

1- यह कि ग्राम बिरसिंहपुर-पाली जिला उमरिया की आराजी खसरा नं. 1222 रकबा 2 एकड़ की कृषि भूमि पुनरावेदक शम्भू कोलके पिता स्व. जेठुआ कोल की आरा-जी थी । जिसे पुनरावेदक के पिता के द्वारा अपनी पुत्री ॥पुनरावेदक की बहन ॥ की शादी आदि की व्यवस्था हेतु उपरोक्त आराजी अनावेदक क्र. 1 श्री मती गीतादेवी अवधिया को 3000 रु. में विक्रय कर देने के कारण नियमानुसार श्रीमती गीतादेवी अवधिया स्वयं के नाम पर उपरोक्त आराजी क्रय न कर पाने के कारण अपने पुराने मजदूर स्व. सुध्दू कोल आत्मज स्व. जारू कोल निवासी ग्राम बिरसिंहपुर-पाली के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14-2-1984 के तहत क्रय व नामान्तरण करा स्वयं आराजी में काबिज दाखिल रहते खेती कराने लगी ।

2- यह कि अनावेदिका क्र. 1 के द्वारा उपरोक्त आराजी जिसे सुध्दू आत्मज स्व. जारू कोल के नाम से आराजी क्रय की गई थी जिसकी अचानक मृत्यु होजाने के कारण अनावेदक/ उत्तरवादी क्र. 2 सुध्दू कोल के कथित वारिस बन अ,ब,स,द क्रमशः : गुलम-लिया बाई, जुगिया बाई, पुगिया बाई, तथा फगुनी बाई कोल द्वारा स्व. सुध्दू को अप-ना पिता बता कर ॥जबकि राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम बैसाखू कोल दर्ज रिकार्ड है ॥ उपरोक्त आराजी का वारिसाना नामान्तरण अपने नाम पर करालेने के कारण [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-1581-दो/2014 जिला-उमरिया

शंम्भू कोल विरूद्ध श्रीमती गीतादेवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा कलेक्टर उमरिया जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक-29/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-12-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~22-05-2014~~ 05/04/2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

22/01/19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 28-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
22/01/19
सदस्य